जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 13 / डी– 1293 दिनांकः– 2. 9.13

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 97वीं बैठक दिनांकः 14.08.13 को अपरान्ह 04.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		97:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 96वीं बैठक दिनांक 24.07.13 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	96वीं बैठक दिनांक 24.07.13 :– प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति 96वीं बैठक दिनांक 24.07.13 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
2.	11	97:2	अनुपम विहार योजना में आवंटित भूखण्ड सं. बी–217, बी–213 व बी–203 के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय बाबत।	अनुपम विहार आवासीय योजना में नीलम नरवाल, हनुमान सिंह, अरविन्द गर्ग को क्रमशः भूखण्ड सं. बी–217, बी–213 व बी–203 प्रत्येक 252 वर्गमीटर 12 मीटर चौडी सडक पर आवंटित किये गये थे। किन्तु उक्त भूखण्डों का अनुमोदित मानचित्रानुसार क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर है। उक्त आवंटियो द्वारा 252 वर्गमीटर भूमि के अन्य भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया है। आवेदको द्वारा 252 वर्गमीटर क्षेत्रफल की नजराना राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः इन्हे समान माप व समान चौडाई की सडक पर स्थित भूखण्ड सं. ए–265, ए–274, बी–482, बी–414, बी–422, बी–220, बी–20, बी–19, सी–415, सी–432 व ए–273 में से एक–एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इन भूखण्डो का शीघ्र निस्तारण किया जाने का भी निर्णय लिया गया।
3.	9	97:3	श्रीमती सुशीला शर्मा को आवंटित भूखण्ड सं. बी–342 रामनगरिया विस्तार योजना के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय बाबत।	रामनगरिया विस्तार योजना में उपायुक्त द्वारा लगभग 22 भूखण्डों पर कास्तकारों द्वारा अस्थाई अतिक्रमण करना बताया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन व प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से योजना के अतिक्रमित भूखण्डों का अतिक्रमण हटाया जावे व तत्पश्चात् संबंधित सभी आवंटियों को भूखण्ड का कब्जा व लीजडीड जारी करने की कार्यवाही जोन स्तर से की जावे।
4.	9	97:4	श्री देवीसहाय मीणा को रामनगरिया विस्तार योजना के आवंटित भूखण्ड सं. बी–363 के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय करने बावत।	रामनगरिया विस्तार योजना में उपायुक्त द्वारा लगभग 22 भूखण्डों पर कास्तकारों द्वारा अस्थाई अतिक्रमण करना बताया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन व प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से योजना के अतिक्रमित भूखण्डों का अतिक्रमण हटाया जावे व तत्पश्चात् संबंधित सभी आवंटियों को भूखण्ड का कब्जा व लीजडीड जारी करने की कार्यवाही जोन स्तर से की जावे।
5.	11	97:5	श्रीमती ऋतु शर्मा को अनुपम विहार योजना में भूखण्ड सं. बी–221 के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय बावत।	अनुपम विहार आवासीय योजना में श्रीमती ऋतु शर्मा को भूखण्ड सं. बी–221 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर 12 मीटर चौडी सडक पर आवंटित किया गया था। किन्तु उक्त भूखण्ड का अनुमोदित मानचित्रानुसार क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर है। आवंटी द्वारा 252 वर्गमीटर भूमि का अन्य

सचिव (आ.अ.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया है। आवेदक द्वारा 252 वर्गमीटर क्षेत्रफल की नजराना राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः इन्हे समान माप व समान चौडाई की सडक पर स्थित भूखण्ड सं. ए–265, ए–274, बी–482, बी–414, बी–422, बी–220, बी–20, बी–19, सी–415, सी–432 व ए–273 में से कोई एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
6.	13	97:6	दैनिक उद्योग आस–पास समाचार पत्र को ग्राम राजारामपुरा तहंसील आमेर में प्रिन्टिग प्रेस व कार्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन 13 द्वारा दैनिक उद्योग आस–पास समाचार पत्र को ग्राम राजारामपुरा तहसील आमेर में प्रिन्टिग प्रेस व कार्यालय स्थापित करने हेतु जविप्रा की ग्राम राजारामपुरा में स्थित आवासीय/संस्थानिक योजना में 3817.88 वर्गमीटर भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित किया है। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जविप्रा की पूर्व मे अनुमोदित योजना के मानचित्र में री–प्लानिंग की जाकर 2000 वर्गमीटर भूमि योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया। साथ ही योजना की आरक्षित दर का निर्धारण भी सक्षम स्तर से करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
7.	14	97:7	मैसर्स सहारा प्राईम सिटी लि0 की निजी खातेदारी योजना के मध्य जविप्रा की भूमि ग्राम बीलवा के खसरा नं. 1064, 1069 व 1071 कुल रकबा 0.17 हेक्टेयर आवंटित करने व इसके बदले 1700.39 वर्गमीटर भूमि निजी खातेदारी में से समर्पित करने बाबत।	मैसर्स सहारा प्राईम सिटी लि0 की निजी खातेदारी योजना के मध्य सहारा सिटी होम्स के भूखण्ड सं. जी एच–2 के मध्य में जविप्रा की भूमि ग्राम बीलवा के खसरा नं. 1064, 1069 व 1071 कुल रकबा 0.17 हेक्टेयर स्थित है। विकासकर्ता द्वारा उक्त भूमि आवंटन करने व इसके बदले विकासकर्ता की योजना में स्थित क्लब के पास कॉर्नर भूखण्ड की 1702.2 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को देने हेतु सहमति प्रदान की है। अतः समिति द्वारा उक्त भूमि विनिमय करने का निर्णय लिया गया। जविप्रा को समर्पित उक्त भूखण्ड का निलामी द्वारा निस्तारण किया जावे।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

8.	13	97:7(1)	भारत में 15 एडवांस ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूटस की स्थापना के लिये भूमि आवंटन करने बाबत।	श्रम नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण विभाग) को एडवांस ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूटस की स्थापना हेतु ग्राम अचरोल स्थित जविप्रा की साइन्सटेक सिटी योजना के भूखण्ड सं. 8 क्षेत्रफल 31740.61 वर्गमीटर निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक प–3(771) नविवि/03 दिनांक 10.07.13 से प्राप्त हो चुकी है। समिति द्वारा उक्त भूमि के आवंटन का निर्णय लिया गया।
9.	14	97:7(2)	इण्डियन कौंसिंल फॉर इन्टरनेशनल अमेटी, जयपुर को दी आई.आई.एस. विश्वविद्यालय हेतु ग्राम बाडापदमपुरा तहसील चाकसू में भूमि आवंटन बाबत।	इण्डियन कौंसिंल फॉर इन्टरनेशनल अमेटी, जयपुर ने दी आई.आई.एस. विश्वविद्यालय हेतु ग्राम बाडापदमपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 116/1 व 121 की चारागाह भूमि में सृजित संस्थानिक योजना के पार्ट–ए की 1,21,405 वर्गमीटर भूमि आवंटन चाहा है। जविप्रा द्वारा इस संस्था को भूमि आवंटन की अभिशंषा प्रथम बार की जा रही है । संस्था को जविप्रा रीजन में पूर्व में आरक्षित दर पर 4 बार (तीन बार राजस्थान आवासन मण्डल एवं एक बार रीको द्वारा) भूमि का आवंटन किया जा चुका है । संस्था ने नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 के बिन्दु सं. 5.12 व 5.13 के अनुसार शर्तो के पालन करने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण,

				दिनांक 04.05.11 में प्रिमीयर संस्थाओं को भूमि आवंटन हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इन सभी तथ्यों के साथ उक्त विश्वविद्यालय को ग्राम बाडापदमपुरा तहसील चाकसू की संस्थानिक योजना के पार्ट–ए की उक्त 1,21,405 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया। चूकि योजना की आरक्षित दर निर्धारित नहीं है अतः योजना की आरक्षित दर सक्षम स्तर से निर्धारित कराई जावे।
10.	13	97:7(3)	सवित्री फूले एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी को इन्जिनियरिग कॉलेज, आवासीय विद्यालय, आई.टी.आई. हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रकरण में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्था के प्रतिनिधि को प्री–एलपीसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाया जावे व प्रकरण का परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त एवं (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्कैन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 97वी बैठक दिनांक 14.08.13 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री अभय कुमार, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री बिष्णु चरण मल्लिक, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री दीपक नन्दी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
6.	श्री त्रिभुवनपति, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
8.	श्री गिरिराज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (आर0एम0एण्ड सी0)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री केसर लाल मीणा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री शक्ति सिंह, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
11.	श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
12.	श्रीमती उषा जैन, सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित